



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

AR 013260

- जिसमें प्रथम पक्ष एवं उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- यह कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष निम्नांकित विवरण की सम्पत्ति को किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग व उपभोग एवं विक्रय, वसीयत, दान आदि करने के लिए स्वतन्त्र है।
- 8- यह कि द्वितीय पक्ष अभिकथन करते हैं कि द्वितीय पक्ष ने निम्नांकित विवरण की भूमि पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः सन्तुष्ट है।
- 9- यह कि इस प्रकार प्रथम पक्ष अर्थात् विक्रेता ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के पश्चात् इस विक्रय विलेख का निष्पादन किया। अतएव इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशो हवास में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये।
- 10- यह कि इस दस्तावेज का सृजन पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के आधार पर बैनामा किया गया है। पक्षकार आपस में पहचान करके आये हैं, इससे मसविदाकर्ता व टाईपकर्ता से किसी प्रकार का कोई वास्ता सरोकार न तो है और न ही भविष्य में होगा।
- 11- यह कि इस विक्रय विलेख में जहाँ-जहाँ शब्द प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष अंकित है उससे मुराद वारिसान व कायम मुकामान है व भविष्य में रहेंगे तथा सम्पूर्ण सरायत वसीका हाजा की पूरी पाबन्दी हम प्रथम पक्ष व वारिसान व कायम मुकामान प्रथम पक्ष पर बखूबी है व भविष्य में रहेगी।

Trichee
राजेश कुमार



